

उत्तराखण्ड शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
संख्या: ५५७ /xxxi(15)G/26-74(सा0)/2016  
देहरादून: दिनांक २० मार्च, 2026

विज्ञप्ति / संशोधन

उत्तराखण्ड राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने विषयक अधिसूचना संख्या- 1800/XXXI(15)G/25-74(सा0)/2026, दिनांक 24 दिसम्बर, 2025 की अनुसूची-1 के क्रम सं०-7 पर उल्लिखित महावीर जयंती हेतु दिनांक 31 मार्च, 2026 को घोषित सार्वजनिक अवकाश में संशोधन करते हुए दिनांक 30.03.2026 (सोमवार) को महावीर जयंती का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है। उक्त के अतिरिक्त दिनांक 31 मार्च, 2026 को कार्यालय यथावत् खुले रहेंगे।

उक्त विज्ञप्ति को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय, अन्य शर्तें यथावत् रहेगी।

Digitally signed by  
Mahaveer Singh Chauhan  
Date: 20-03-2026  
17:37:34

(महावीर सिंह चौहान)  
अपर सचिव।

संख्या- /XXXI(15)G/26-74 (सा०)/2016 तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निबन्धक, मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल (उत्तराखण्ड) को सूचनार्थ एवं ऐसी कार्यवाही हेतु प्रेषित जिसे मा० उच्च न्यायालय आवश्यक समझें।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त समस्त प्रमुख सचिव/विशेष प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
6. सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबेराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
8. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
9. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल।
10. समस्त जिलाधिकारी/विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
11. सचिव, उत्तराखण्ड शिक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल।
12. सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, रिंग रोड, देहरादून।
13. महानिदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को समाचार पत्रों में आवश्यक प्रचार-प्रसार करने का कष्ट करें।
14. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
15. गार्ड फाईल।